



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6]  
No. 6]

नई दिल्ली, सोनवार, जनवरी 6, 1986/पौष 16, 1907  
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 6, 1986/PAUSA 16, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

संश्लेषण सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1986

का.आ. 6(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कारबार का आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का मक्षिप्त नाम भारत सरकार (कारबार का आबंटन) (एक सौ अठहत्तरवां संशोधन) नियम, 1986 है।
- (2) ये तुरन्त प्रभावी होंगे।
2. भारत सरकार (कारबार का आबंटन) नियम, 1961 में, दूसरी अनुसूची में,—

(i) “कृषि मंत्रालय” शीर्षक के नीचे,

“ई ग्रामीण विकास विभाग” उपशीर्षक के नीचे,—

- (1) प्रविष्टि 1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

“1. पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामले 1” ; और

(2) प्रविष्टि 9 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

“9. आयोग क्षेत्र संबंधित जल प्रदाय, मलनाली, जल निकाम और स्वच्छता, 1 इस क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता 1”;

(ii) “स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय” शीर्षक के नीचे,—

(क) “अ स्वास्थ्य विभाग” उपशीर्षक के नीचे, शीर्षकों और प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्—

“1. मद्य कारबार

1. अनुसंधान के लिए या औषध और पोषण में विशेष अध्ययन के संप्रवर्तन के लिए मद्य अधिकरण और संस्थान जिसके अंतर्गत निम्नलिखित से संबंधित मामले भी हैं, अर्थात्—

(i) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान।

(ii) अखिल भारतीय आयोग्य संबंधी और लोक स्वास्थ्य संस्थान।

- (iii) राष्ट्रीय मंचारी रोग संस्थान ।
- (iv) केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला ।
- (v) भारतीय औषधि भेषज प्रयोगशाला ।
- (vi) होम्योपैथिक भेषज प्रयोगशाला ।
- (vii) राजकुमारी अमृतकौर नर्सिंग महाविद्यालय ।
- (viii) लेडी रीडिंग स्वास्थ्य विद्यालय ।
- (ix) केन्द्रीय मनोविकार विज्ञान संस्थान ।
- (x) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और नर्सिंग होम ।
- (xi) सफदरजंग अस्पताल ।
- (xii) आयुर्विज्ञान भण्डार संगठन ।
- (xiii) बं० सं० जं० टं० का प्रयोगशाला ।
- (xiv) जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान ।
- (xv) श्रीमती सुचेता कृपलानी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल और कलावती धरण बच्चों का अस्पताल ।
- (xvi) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम (सी. जी. एच. एस.)
- (xvii) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा ।
- (xviii) सीरम विज्ञानी और रसायन परीक्षक, भारत सरकार ।
2. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला ।
3. केन्द्रीय खाद्य और मानकीकरण प्रयोगशाला ।
4. केन्द्रीय भारतीय भेषज प्रयोगशाला ।
5. अखिल भारतीय शारीरिक औषध और पुनर्वास संस्थान ।
6. राष्ट्रीय क्षय संस्थान ।
7. केन्द्रीय कुष्ठ अध्यापन और अनुसंधान संस्थान ।
8. प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र, रायपुर (ज. प्र.), मसका (उड़ीसा) गौरीपुरी (प. बं.) टीट्टमारी (बिहार)
9. पत्तन करन्तीन (मद्रास और वयु) नविक और समुद्रीय अस्पताल और पत्तन करन्तीन में संबंधित अस्पताल ।
10. पत्तन और विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन ।
11. नाविकों की चिकित्सा परीक्षा ।
12. अन्तरराष्ट्रीय स्वच्छता विनियम ।
13. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.)
14. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके अधीन स्थापित की गई केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला ।
15. चिकित्सा शास्त्र और सहवृद्ध विषयों में विदेश में उच्चतर प्रशिक्षण । चिकित्सा और उससे संबंधित क्षेत्रों में भारत और विदेश में अन्तर-राष्ट्रीय सम्मेलनों की दावन कार्य का समन्वयन ।
16. स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए अन्तरराष्ट्रीय सहायता ।
17. अन्वेषण के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम ।
18. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम ।
19. राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम ।
20. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ।
21. मंचारी रोगों के नियंत्रण और उन्मूलन से संबंधित सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम ।
22. वैश्वीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम स्वास्थ्य और उगमे संबंधित घटकों के क्रियान्वयन ।
23. केनोशिय—भारत और विदेश में विभिन्न चिकित्सा शास्त्र और स्वास्थ्य से संबंधित विषयों में प्रशिक्षण के लिए ।
24. महामारी से संबंधित मामले ।

औषधि के प्रदाय, कुपोषण का प्रभाव और प्रकृतिक विपत्तियों की वजह से पीने के पानों की कमी में होने वाले विभिन्न रोगों से संबंधित समस्याएं ।

II. संघ राज्य क्षेत्रों की वाहन बिभागी, और कार्यपालक प्रबन्धनों के लिए कारवार की सूची ।

26. लोक स्वास्थ्य अस्पताल और डिस्पेन्सरी ।
27. विभाग में व्याहार में आने वाले विषयों से संबंधित वैज्ञानिक सोसाइटी और संगम ।
28. विभाग में व्याहार में आने वाले विषयों से संबंधित पूर्ण और धार्मिक विन्यास ।

III. कारवार की सूची जिसमें, केन्द्रीय सरकार केवल संघ के लिए विधायी हैसियत में और सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधायी और कार्यपालक हैसियत दोनों में, व्याहार करें ।

29. चिकित्सा वृत्ति और चिकित्सा शिक्षण ।
30. नर्सिंग वृत्ति और नर्सिंग शिक्षा ।
31. फार्मिस्ट और फार्मैसी शिक्षा ।
32. दंत वृत्ति और दंत शिक्षा ।
33. होम्योपैथी ।
34. मानसिक स्वास्थ्य ।
35. औषधि मानक ।
36. औषधि और औषध से संबंधित विज्ञापन ।
37. एक राज्य से दूसरे राज्य में मनुष्यों पर प्रभावी संक्रामक या सांख्यिक रोगों को फैलने से रोकना ।
38. खाद्य और औषधि अपमिश्रण निवारण ।
39. औषधि की देणी पद्धति ।

IV. प्रकृतिक कारवार

40. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ।
41. भारतीय औषध केन्द्रीय परिषद् ।
42. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केन्द्रीय परिषद् ।
43. केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् ।
44. भारतीय दंत परिषद् ।
45. भारतीय नर्सिंग परिषद् ।
46. भारतीय फार्मैसी परिषद् ।
47. भारतीय भेषज समिति ।
48. आयुर्वेदिक, मित्र और यूनानी औषधि तकनीक सलाहकार बोर्ड ।
49. (i) जो रेल सेवा में है, (ii) जिन्हें रक्षा सेवा प्राक्कन में से संदाय किया जाता है, (iii) ऐसे अधिकारी जो अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1954 द्वारा शामिल हैं और (iv) ऐसे अधिकारी जो चिकित्सा परिचर्या नियम, 1956 द्वारा शामिल हैं में अखिल भारतीय सरकारी सेवाओं के लिए चिकित्सा परिचर्या और उप-लिए रियायत ।
50. केन्द्रीय सिविल सेवा के लिए चिकित्सा परीक्षा और चिकित्सा बोर्ड (नेल विभाग द्वारा नियंत्रित व्यक्तियों और सिविलियन सेवाओं को छोड़कर जिन्हें रक्षा सेवा प्राक्कन से संदाय किया जाता है से निम्न)
51. बल्लभभाई पटेल चैस्ट इन्स्टीट्यूट (दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन) को अनुदान ।
52. भारतीय रेडक्रास सोसाइटी को अनुदान ।
53. राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ।

- 54 राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान ।
- 55 स्नातक और स्वास्थ्य विधायन स्थल ।
- 56 भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ।
- 57 केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद् ।
- 58 केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् ।
- 59 केन्द्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद् ।
- 60 केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा परिषद् ।
- 61 चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान ।
- 62 राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ।
- 63 चित्ररत्न राष्ट्रीय केसर अनुसंधान केन्द्र ।
- 64 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ।
- 65 चिकित्सा और जैव-चिकित्सा अनुसंधान ।
- 66 स्नातकोत्तर अध्यापन और अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्व-विद्यालय ।
- 67 अखिल भारतीय वाक्शक्ति और श्रवण शक्ति का संस्थान ।
- 68 भारतीय वैद्यक संस्थान ।
- 69 स्नातकोत्तर आयुर्वेद केन्द्र, बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय ।
- 70 औसिक चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल ।
- 71 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और लक्षिकाणी ज्ञान संस्थान ।
- 72 उपरोक्त सूची में किसी मामले के प्रयोजन के लिए आच और आकड़े ।
- 73 उपरोक्त सूची में किसी मामले की बाबत फीस, किन्तु इसके अन्तर्गत किसी न्यायालय में ली गई फीस नहीं है ।
- 74 केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान ।
- 75 राष्ट्रीय यूनानी संस्थान ।
- 76 इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड ।
- 77 होस्पिटल सर्विसेज कन्सलटेन्सी कारपोरेशन लिमिटेड ।"

## (ख) "आ परिवार कल्याण विभाग"

उपशीर्षक के अर्थात्, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् --

- "(1) परिवार कल्याण के लिए नीति और सगठन ।
- (2) मातृ और बालक कल्याण ।
- (3) परिवार कल्याण के सभी पहलुओं -- की बाबत जिसके अन्तर्गत विदेश में उच्चतर प्रशिक्षण भी है, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान का सगठन और निदेशन ।
- (4) परिवार योजना को द. जाने वाली सहायता का निर्माण और प्रदाय ।
- (5) परिवार कल्याण से संबंधित मामलों की बाबत विदेशी राष्ट्रों और अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के साथ संपर्क ।
- (6) परिवार कल्याण से संबंधित जाच और आकड़े ।
- (7) अन्तर्राष्ट्रीय जन सख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई ।
- (8) जन सख्या और परिवार कल्याण से संबंधित विकास और दृश्य मुख्य सहायता का निर्माण विस्तारण शिक्षा और जानकारों ।
- (9) स्वयं सेवक सगठनों और स्थानीय निकायों को परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए सहायता अनुदान ।
- (10) हिन्दुस्तान जेन्टल लिमिटेड ।
- (11) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली ।
- 12 विदेशी सहायता में परिवार कल्याण स्कीम और परियोजना";

(iii) मानव ससाधन विकास मन्त्रालय" शीर्षक के अधीन --

(क) "आ युवा कार्यक्रम और खेल विभाग" उपशीर्षक के अधीन, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् --

- "(1) क्रीडा पालिसी ।
- (2) क्रीडा और खेल ।
- (3) खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि ।
- (4) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीडा संस्थान ।
- (5) भारतीय क्रीडा प्राधिकरण ।
- (6) भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन और राष्ट्रीय क्रीडा फेडरेशन से संबंधित मामलों ।
- (7) विदेशी टूर्नामेंटों में भारतीय क्रीडा टीमों द्वारा भाग लेना और भारत में अन्तरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में विदेशी क्रीडा टीमों द्वारा भाग लेना ।
- (8) राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार, जिसके अन्तर्गत अर्जुन पुरस्कार भी है ।

क्रीडा छात्रवृत्तियां ।

- (10) विदेशी राष्ट्रों के साथ खिलाड़ियों, युवा प्रतिनिधि मंडल, विशेषज्ञों और टैमों का आदान-प्रदान ।
- (11) क्रीडा आधुनिक संरचना जिसके अन्तर्गत एसी आधुनिक संरचना के सृजन और विकास के लिए वित्तीय सहायता भी है ।
- (12) कोच करने, टूर्नामेंट, उपस्कर आदि के लिए वित्तीय सहायता ।
- (12) सघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित क्रीडा मामले ।
- (14) युवा मामले ।
- (15) नेहरू युवक केन्द्र ।
- (16) राष्ट्रीय सेवा स्कीम ।
- (17) स्वयंसेवा युवा सगठन, जिसके अन्तर्गत उनको दा जाने वाला वित्तीय सहायता भी है ।
- (18) राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक स्कीम ।
- (19) कामनवेल्थ युवा कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक ।
- (20) युवा कल्याण क्रियाकलाप, युवा मेले, नर्क कैंम्प, आदि ।
- (21) बाय स्काउट और गर्लगाइड ।
- (22) युवा हास्टल ।
- (23) राष्ट्रीय युवा पुरस्कार ।
- (24) भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुशासन स्कीम का अक्षिष्ट कार्य ।
- (25) उपरोक्त विनिर्दिष्ट किसी विषय से संबंधित या अधीनस्थ कार्यालय और स्वायत्त निकाय ।

(ख) "ई-महिला कल्याण विभाग" उपशीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 10 के पश्चात् निम्नलिखित अर्थ स्थापित किया जाएगा, अर्थात् --

"11 का आउटरेच अमेरिकन रिलिफ एवरीवेयर के क्रियाकलापों का समन्वयन ।

12 महिलाओं और बच्चों के कल्याण से संबंधित योजना, अनुसंधान मूल्यांकन मानिटर करना, परियोजना बनाना, आकड़े और प्रशिक्षण ।",

(iv) "सूचना और प्रसारण मन्त्रालय" शीर्षक के नीचे, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् --

## I रेडियो

- 1 आकाशवाणी से संबंधित सभी कारखानों जिसमें वरेसू कार्यक्रम, विदेशी राष्ट्रा और विदेशस्थ भारत में रेडियो पत्रिकाओं, के लिए कार्यक्रम प्रसारण इज नियरी के क्षेत्र में अनुसंधान, विदेशी प्रसारण

को मॉनिटर करन, कार्यक्रम आदान प्रदान आर प्रतिलेखन सेवा, सामुदायिक श्रवण स्कीम आदि के अर्गन राज्य सरकारों को सामुदायिक रिजर्विंग सेटों के प्रदाय म समाचार सेवा समाविष्ट है।

2 सम्पूर्ण ष में प्रसारण का विकास रेडिया स्टेणलॉ ट्रामम टरा का मस्थापन। िर; नको बनाए रखना।

## II दूरदर्शन

3 टी वी कार्यक्रमों के जिनके अंतर्गत समाचार, टेली कथाचित्र आदि भी है निर्माण चयन आयात, निर्यात आर -----में संपन्न दूरदर्शन से संबंधित सभी कार्रवार।

4 आदान प्रदान जिनके अंतर्गत टी वी कार्यक्रमों का सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी है।

दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापन आर प्रायोजित कार्यक्रम।

6 सम्पूर्ण सभ में दूरदर्शन का विकास जिनके अंतर्गत टी वी कार्यक्रम निर्माण केन्द्र का मस्थापन अन्वेषण आर प्रचारन तथा ट्रामसीटर, सामुदायिक सभ म दृश्यने की स्कीम आर कोई विशेष टी वी सेवा भी है।

7 दूरदर्शन से बाहर टी वी कार्यक्रमों के निर्माण का मवर्धन।

## III फिल्में

8. (प्रदर्शन के आर इतर प्रयोग के लिए) फीचर लम्बाई की आर लघु फिल्मों का प्रयात।

9 फीचर लम्बाई की आर लघु भारतीय फिल्मों का नियात।

10. फिल्म उद्योग द्वारा अपक्षित चलचित्र फिल्म (अनुदभाषित) आर अन्य माल का आयात आर वितरण।

11. अन्तर्देशीय आर विदेश प्रचार के लिए वृत्त चित्रों आर समाचार चित्रों तथा अन्य फिल्मों आर फिल्मों के टुकड़ों का निर्माण आर वितरण।

12. फिल्मों के लिए वितरण आर प्रदर्शन श्रृंखलाओं का सृजन।

13. फिल्म उद्योग में मबधित विकासकारी आर मवर्धक क्रियाएँ जिनमें शिक्षण आर अनुसंधान भी है।

14. जहाँ तक सभ राज्य क्षेत्रों का मवध है चलचित्र अधिनियम, 1952 के भाग 3 का प्रशासन।

15. भारत में निर्मित फिल्मों के लिए, राज्य पुरस्कारों की मजूरी।

16. भारतीय बाल फिल्म मासाइटी आर भारतीय फिल्म आर दूरदर्शन मस्थापन का अनुदान।

17. फिल्म जाच समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन।

18. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम आर फिल्मोत्सव निदेशालय।

19. सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत फिल्मोत्सव आयोजन।

## IV विज्ञापन आर दृश्य प्रचार

20. प्रेम, पोस्टरो फाल्डरो कलेण्डरो, क्वार्टरो, पत्रको, विज्ञापन पुस्तका, सिनेमा स्लाइडो अदि क माध्यम में भारत सरकार के सभी मप्रदर्शी विज्ञापनों का उत्पादन आर प्रकाशनीयार्थ दिया जाना वर्गीकृत विज्ञापनों का भारत सरकार की आर में उन्माचन भी।

21. माध्यम सूचिया की तैयारी।

### प्रेस

22. भारत सरकार की नीतियों आर क्रियाकलापों का प्रेस क माध्यम से निरूपण आर निर्वचन।

23. प्रेस सबधी सूचना समस्याओं पर सरकार का सलह देना, प्रेस में यथाप्रतिबन्धित लाकमत को मुख् धाराओं की सरकार को जानकारी देने रहना आर सरकार आर प्रेस के बीच मर्भर।

24. सभस बलों को आर उसके लिए प्रचार।

25. वण्ड प्रक्रिया, सहिता, 1973 की धारा 95 आर 96 तक के प्रशासन को छोड़कर प्रेम के साथ सरकार के सबधी का साधारण सचालन।

26. प्रेम तथा पुस्तक रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम, 1867 (1867 का 25) क समाचारपत्रों में सबद्ध प्रशासन।

27. समाचार पत्र (कीमत आर पृष्ठ) अधिनियम, 1956 (1956 का 45) का प्रशासन।

28. समाचार पत्रों को अखबारी कागज का वितरण।

## VI प्रकाशन

29. देश की तथा विदेशों की साधारण जनता को भारत के सबंध म अद्यतन आर ठीक-ठीक जानकारी कराने की दृष्टि में अन्त-देशीय तथा विदेश प्रचार के राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर लोक-प्रिय पुस्तिकाएँ, पुस्तिका तथा जनरलों को तैयार करना, विनय तथा वितरण।

## VII अनुसंधान आर मन्दर्भ

30. सूचना आर प्रसारण मन्त्रालय के सूचना माध्यम एकाकों को उस मामली क मग्रहण, मकलन आर तैयारी में सहायता करना जिसमें प्रकाशित कृतियों आदि में अनुसंधान करना अन्तर्ग्रेस्त है।

31. मन्त्रालय के सूचना माध्यम एकाकों के प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर ज्ञान का सार मग्रहण तैयार करना आर मामयिक तथा अन्य विषयों पर मर्गदर्शन तथा पृष्ठभूमि टिप्पण तैयार करना।

## VIII भारत सरकार की नीतियों आर कार्यक्रमों का प्रचार:--

IX. ऐसे गायक आर वादक दोनों प्रकार के प्रसिद्ध संगीतजों को नर्तक-नर्तकियों को आर नाटककारों को जिन्होंने, आकाशवाणी आर इस मन्त्रालय के अन्य एकाकों की मफलता में मारभूत योगदान दिया है, या निर्धनावस्था वाले उनके उत्तरजीविहों को वित्तीय सहायता।

X. एशियाई प्रसारण यूनियन, राष्ट्रकुल प्रसारण एसोसिएशन आर गुडनिरपेक्ष समाचार अभिकरण पूल से मबधित सारी बातें।

## XI मलम आर अधीनस्थ मगठन

(क) आकाशवाणी

(ख) दूरदर्शन

(ग) फिल्म प्रभाग

(घ) क्षेत्र प्रचार निदेशालय

(ङ) विज्ञापन आर दृश्य प्रचार निदेशालय

(च) प्रेम सूचना ब्यूरो

(छ) प्रकाशन प्रभाग

(ज) अनुसंधान आर निर्देशन प्रभाग

(झ) भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

(ञ) फोटो प्रभाग

(ट) गीत आर नाटक प्रभाग

(ठ) भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखाना

(ड) मुख्य लेखा नियंत्रक

## XII स्वायत्त मगठन

(क) भारतीय फिल्म आर दूरदर्शन मस्थापन

(ख) भारतीय जन मम्पक सचार मस्थापन

(ग) भारतीय बाल फिल्म मासाइटी

(घ) भारतीय प्रेस परिषद

## XIII पब्लिक सेक्टर उपक्रम

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम जिमके अत्यंत फिलिमोत्सव निदेशालय भी है,

V "विधि और न्याय मन्त्रालय" शीर्षक के अधीन उपशीर्षक "अ विधायी विभाग" के नीचे निम्नलिखित का नाम किया जाएगा, अर्थात् — "अन्य विषय"

- 19 वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का 29)
- 20 निष्प्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1959 (1950 का 31) के अधीन वक्फ सम्पत्तियां वी बाबत कार्य।
- 21 दरगाह ख्वाजा माहिब अधिनियम, 1955 (1955 का 36)", का प्रशासन।

VI वस्त्र मन्त्रालय शीर्षक के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् —

"साधारण नीति

- 1 जूट, जूट उत्पाद वस्त्र, शिल्प और सभी सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्रों जिममे हथकरघा पावरलूम, सिलेसिलाए वस्त्र है का उत्पादन, वितरण (देश में उपयोग और निर्यात के लिए) और विकास तथा रेशम और सेलुलासीक तन्तुओं जिममे गौर सेलुलोसी सखिलष्ट तन्तु (नायलान, पॉलिएस्टर, ऐक्रिलिक आदि) नहीं है के उत्पादन से संबद्ध उद्योग।
- 2 कपास (इसमें देश में पूर्ति, आयात, निर्यात और कीमतों का स्थिरीकरण प्रचालन भी है)
- 3 रेशम उत्पादन
- 4 वस्त्रों, ऊनी वस्त्रों, हथकरघा, मिलेमिलाए वस्त्रों, रेशम और सेलुलोसीक वस्तुएँ, जूट और जूट उत्पादों और हस्तशिल्पों के संबध में निर्यात उत्पादन का विकास और विस्तार।

कार्यालय

- 5 विकास आयुक्त (हथकरघा)
6. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)
- 7 पटसन आयुक्त, कलकत्ता
- 8 सदाय आयुक्त (वस्त्र), नई दिल्ली
- 9 सदाय आयुक्त (पटसन), कलकत्ता
- 10 वस्त्र आयुक्त, मुम्बई।

कानूनी/स्वायत्त निकाय

- 11 फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
- 12 भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान
- 13 वस्त्र समिति

उपक्रम

- 14 राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम।
- 15 भारतीय पटसन निगम लि., (कलकत्ता)।
- 16 राष्ट्रीय पटसन विनिर्माता निगम लिमिटेड, कलकत्ता।
- 17 राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि. आर इसके समनुषगी।
- 18 भारतीय कपास निगम लिमिटेड, मुम्बई।
- 19 हस्त शिल्प आर हथकरघा निर्यात निगम और इसके समनुषगी।
- 20 उत्तरपूर्वी हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम, शिलांग।
- 21 ब्रिटीश इंडिया कारपोरेशन लि., कानपुर और इसके समनुषगी।

बोर्ड

- 22 केन्द्रीय रेशम बोर्ड।

23 कपास मलाहकार बोर्ड।

24 अखिल भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प बाईं।

25 अखिल भारतीय पावरलूम बोर्ड।

सलाहकार विकास परिषद

- 26 केन्द्रीय वस्त्र उद्योग सलाहकार परिषद।
- 27 पटसन विनिर्माण विकास परिषद् कलकत्ता।
- 28 वस्त्र उद्योग विकास परिषद्।
- 29 वस्त्र उद्योग के आधुनिकरण के संबध में स्थाय परिषद्।
- 30 वस्त्र अनुसंधान एमामिणेशन का समन्वय परिषद।

परिषदे

- 31 हथकरघा निर्यात प्रोन्नति परिषद।
- 32 भारत में रेशम निर्यात प्रोन्नति परिषद।
- 33 सुर्त वस्त्र निर्यात प्रोन्नति परिषद।
- 34 कारपेट निर्यात प्रोन्नति परिषद, नई दिल्ली
- 35 रेशम और रेयन वस्त्र निर्यात प्रोन्नति परिषद, मुम्बई।
- 36 ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात प्रोन्नति परिषद, नई दिल्ली।
- 37 सज्जा निर्यात प्रोन्नति परिषद, नई दिल्ली।

संगम

- 38 भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संगम, कलकत्ता।
- 39 अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संगम, अहमदाबाद।
- 40 मुम्बई वस्त्र अनुसंधान संगम, मुम्बई।
- 41 मानव-निर्मित वस्त्र अनुसंधान संगम, सुरत।
- 42 दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संगम कोयम्बटूर।
- 43 उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संगम।
- 44 रेशम और कृत्रिम रेशम मिल्स अनुसंधान संगम, मुम्बई।
- 45 ऊन अनुसंधान संगम, थाणे।
- 46 हथकरघा निगम आर शीर्षस्थ सोमाइटियों का संगम

अन्तर्राष्ट्रीय पहलू।

- 47 अन्तर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति।
- 48 अन्तर्राष्ट्रीय कपास संस्थान।

अधिनियम

- 49 हथकरघा उत्पादनार्थ मानप्रियों का आरक्षण अधिनियम, 1985 (1985 का 22)"

(VII) शहरों विकास मन्त्रालय शीर्षक के अधीन—

- 2 (क) प्रविष्टि 2 में "मानव बस्ती" जहां जहां वे आते हैं, शब्दों के स्थान पर "मानव बस्तियां" शब्द रखे जाएंगे,
- (ख) प्रविष्टि 23 में "जिला बोर्ड" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा,
- (ग) प्रविष्टि 25 में "मनव्ययन" शब्द के स्थान पर "मल बहन" शब्द रखा जाएगा,
- (घ) प्रविष्टि 32 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्—

"33 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) के प्रशासन से संबंधित सभी बातें।

34 भारत में राष्ट्रीय वातावरण और मासकृतिक विरासत (इष्टक) संबंधित विषय।

35 राष्ट्रीय सड़क सहायक आवागमन मंत्र,

(VIII) "जल समायान मन्त्रालय' शीर्षक के अधीन, प्रविष्टियों के रथान पर निम्नलिखित प्रविष्टिया रखी जाएगी अर्थात्--

I साधारण --

- 1 राष्ट्रीय मसाधन के रूप में "जल का विकास, सरक्षण और प्रबध" इस सबध में, मपूर्ण राष्ट्रीय परिश्रेष्य और समन्वय जिसमें विविध जल प्रयोगों का समन्वय भी सम्मिलित है।
- 2 राष्ट्रीय जल ससाधन परिषद
3. (क) साधारण नीति, तर्जनीकी सहायता, अनुसधान और विकास प्रशिक्षण आर सिचाई में सबधित सभी बाते जिमके अन्तर्गत बहुउद्देशीय बाडे, मध्यम लघु और आपानकालिक सचार सकर्म भी आत है, "तावहन सबधा जलय भरचना और जल विद्युत", ट्यूबवेल आर भूमि जल अन्वेषण आर विदोहन, कृषि प्रयोजना के लिए सिचाई जल प्रबध, कमाड क्षेत्र विकास, बाढ नियक्षण, जल विकास जलरोधन और समुद्रा कटाव समस्याए, बाध सुरक्षा
- (ख) सध राज्य क्षेत्रों की स्कीमें केन्द्रीय सेक्टर की स्कीमें, राज्य सेक्टर में परियोजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में राज्यो की सहायता।
- 4 अन्तर्राष्ट्रीय नदियो और नदी शाटियों का विनियमन और विकास।
- 5 जल विधि, विधानयन।
- 6 केन्द्रीय जल इंजीनियरा सेवा का काडर नियक्षण और प्रबध।

II अन्तर्राष्ट्रीय पहलू

- जल ससाधन विकास और प्रबध, जल विकास और बाढ नियक्षण से सबधित अन्तर्राष्ट्रीय सगठन, आयोग और सम्मेलन।
- 8 अन्तर्राष्ट्रीय जल विधि।
  - 9 भारत और पड़ोसी देशों की सम्मिलित नदियो से सबधित बाते, बगला देश के साथ सयुक्त नदी आयोग, सिन्धु जल विधि, 1960 सिन्धु आयोग।
  - 10 जल ससाधन विकास के क्षेत्र में द्विपक्षीय और बाह्य सहायता और सहयोग कार्यक्रम।

III अधिनियमों का प्रशासन

- 11 नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 (1956 का 49)
- 12 अन्तर्राष्ट्रीयक जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33)
- 13 उत्तरी भारत नहर और जल विकास अधिनियम, 1873 (1873 का 8)
- 14 बेतवा नदी बाई अधिनियम, 1976 (1976 का 63)
- 15 ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46)

IV मन्त्रालय के अधीन सगठन आर विकास

- 16 केन्द्रीय जल आयोग।
- 17 केन्द्रिय मृदा और मामलों अनुसधान केन्द्र।
- 18 केन्द्रिय भूमिगत जल बाई।
- 19 केन्द्रिय जन आर विद्युत अनुसधान केन्द्र।
- 20 फरक्का बराज परियोजना।
- 21 गंगा बाढ नियक्षण आयाग
- 22 मोन नदी आयोग।
- 23 फरक्का बराज परियोजना नियक्षण बोर्ड आर (एफ, ए, एण्ड सी ए आ) का कार्यालय।
- 24 मरदार मनेवर निर्माण माहाकार समिति।
- 25 ब्रह्मपुत्र बाई।
- 26 नर्मदा नियक्षण प्राधिकरण।

27 बेतवा नदी बोर्ड।

28 राष्ट्रीय हाइड्रोलोजी भरचना।

29 राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण।

30 केन्द्रीय सिचाई आर विद्युत बोर्ड

31 वनमागर नियक्षण बोर्ड।

32 माहे नियक्षण बोर्ड।

33 तु गभद्रा बोर्ड।

34 जल आर विद्युत परामर्शी सेवा आरग निमिटेड (वायकोज)"

(IX) कन्साग मन्त्रालय शीर्षक के अधीन--

(क) प्रविष्टि 23 और 25 का लप क्रिया जाएगा।

(ख) प्रविष्टि 33 को उप प्रविष्टि (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उप प्रविष्टिया जाई जाएगी, अर्थात्--

"(iii) भाषायो अन्वयनधरा से सबधित सभी बाते",

(ग) प्रविष्टि 33 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टिया रखी जाएगी, अर्थात्--

"§ 4 अल्पसङ्ख्यक आयोग से सबधित सभी बाते।

35 वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का 29)

36 निष्कान सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) के अगत वक्फ सम्पत्तियों से सबधित सकर्म।

37 दरगाह खवाजा साहिब अधिनियम, 1955 (1955 का 36) का प्रशासन",

(X) "अन्तरिक्ष विभाग" शीर्षक के अधीन--

(क) प्रविष्टि 2 में,--

(i) "आर अन्तरिक्ष प्राद्योगिकी शब्दों के स्थान पर "अन्तरिक्ष प्राद्योगिकी और अन्तरिक्ष उपयोगन" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) उप प्रविष्टियों (1) और (2) में "अन्तरिक्ष विज्ञान" शब्दों के स्थान पर जहा जहा वे आते हैं "अन्तरिक्ष विभाग, अन्तरिक्ष प्राद्योगिकी आर अन्तरिक्ष उपयोगन" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) प्रविष्टि 3 को उप प्रविष्टि (1) में--

सयुक्त राष्ट्र सब के विषेपज्ञ अभिकरणों में अन्तरिक्ष से सबधित मामले।

जैव सिंह, राष्ट्रपति  
[म 74/2/1/85-मर्षि]  
आर राजामणि, अपर सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January 1986

S.O. 6(E)—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1 (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and Seventy-eighth Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force at once

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(i) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)", under the sub-heading

“C. DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (GRAMIN VIKAS VIBHAG)”,—

(1) for entry 1. the following entry shall be substituted, namely :—

“1. All matters relating to panchayati raj and panchayati raj institutions.”; and

(2) for entry 9, the following entry shall be substituted, namely :—

“9. Water supply, sewage, drainage and sanitation relating to rural areas. International co-operation and technical assistance in this field.”;

(ii) under the heading “MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SWASTHYA AUR PARIWAR KALYAN MANTRALAYA)”,—

(a) under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF HEALTH (SWASTHYA VIBHAG)”, for the captions and entries, the following shall be substituted, namely :—

“I. Union Business

1. Union agencies and institutes for research or for the promotion of special studies in medicine and nutrition, including all matters relating to the :—

(i) Central Research Institute.

(ii) All India Institute of Hygiene and Public Health.

(iii) National Institute of Communicable Diseases.

(iv) Central Drugs Laboratory.

(v) Pharmacopoeial Laboratory for Indian Medicine.

(vi) Homoeopathic Pharmacopoeia Laboratory.

(vii) Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing.

(viii) Lady Reading Health School.

(ix) Central Institute of Psychiatry.

(x) Dr. Ram Manohar Lohia Hospital and Nursing Home.

(xi) Safdarjang Hospital.

(xii) Medical Stores Organisation.

(xiii) B.C.G. Vaccine Laboratory.

(xiv) Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research

(xv) Smt. Sucheta Kirpalani Medical College and Hospital and Kalawati Saran Children's Hospital.

(xvi) Central Government Health Scheme (CGHS).

(xvii) Central Health Service.

(xviii) Serologist and Chemical Examiner to the Government of India.

2. Central Food Laboratory.

3. Central Food and Standardisation Laboratory.

4. Central Indian Pharmacopoeia Laboratory.

5. All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation.

6. National Tuberculosis Institute.

7. Central Leprosy Teaching and Research Institute.

8. Regional Leprosy Training and Research Centre, Raipur (U.P.), Aska (Orissa), Gauripur (W.B.), Teetulmari (Bihar).

9. Port Quarantine (sea and air) seamen's and marine hospitals and hospitals connected with port quarantine.

10. Port and Air Port Health Organisations.

11. Medical Examination of Seamen

12. International Sanitary Regulations.

13. World Health Organisation (WHO).

14. Prevention of Food Adulteration Act, 1954 and the Central Food Laboratory set up thereunder.

15. Higher training abroad in medical and allied subjects.

16. Coordination of work in respect of International Conferences in India and abroad in medical and related fields.

17. International aid for Health Programmes.

18. National Programme for Control of Blindness.

19. National Leprosy Eradication Programme.

20. National Tuberculosis Control Programme.

21. National Malaria Eradication Programme.

22. All National Programmes relating to control and eradication of communicable diseases.

23. Bilateral Cultural Exchange Programmes—Implementation of health related components.

24. Fellowships—for training in India and abroad in various medical and health related subjects.

25. Matters relating to epidemics. Problems connected with supply of medicine, effects of malnutrition and shortage of drinking water leading to various diseases as a result of natural calamities.

II. List of Business for Legislative and Executive Purposes in respect of Union Territories

26. Public Health hospitals and dispensaries.

27. Scientific societies and associations pertaining to subjects dealt with in the Department.

28. Charitable and religious endowments pertaining to subjects dealt with in the Department.

III. List of Business with which the Central Government deal in a Legislative capacity only for the Union and in both Legislative and Executive capacities for all Union Territories

29. The Medical profession and medical education.

30. The nursing profession and nursing education.

31. Pharmacists and Pharmacy education.

32. The dental profession and dental education.

33. Homoeopathy.

34. Mental Health.

35. Drugs Standards.

36. Advertisements relating to drugs and medicines.

37. Prevention of the extension from one State to another of infectious or contagious diseases affecting human beings.

38. Prevention of adulteration of foodstuffs and drugs.

39. Indigenous system of medicines.

IV. Miscellaneous Business

40. The Medical Council of India.

41. The Central Council of Indian Medicines.

42. The Central Councils of Health and Family Welfare.

43. Central Council of Homoeopathy.

44. Dental Council of India.

45. Indian Nursing Council.

46. Pharmacy Council of India.

47. Indian Pharmacopoeia Committee.

48. Ayurvedic, Siddha and Unani Drugs Technical Advisory Board.

49. Concession of medical attendance and treatment for Central Government servants other than: (i) those in Railway Service (ii) those paid from Defence Services Estimates (iii) officers governed by the All India Services (Medical Attendance) Rules, 1954 and (iv) officers governed by the Medical Attendance Rules, 1956.
  50. Medical Examination and Medical Boards for Central Civil Services [other than those controlled by the Department of Railways (Rail Vibhag) and those paid from Defence Services Estimates excepting Civilians Services].
  51. Grants to Vallabhbhai Patel Chest Institute (under Delhi University).
  52. Grants to Indian Red Cross Society.
  53. National Institute of Ayurveda.
  54. National Institute of Homoeopathy.
  55. Spas and Health resorts.
  56. The Indian Council of Medical Research
  57. Central Council of Research in Ayurveda and Siddha.
  58. Central Council of Research in Homoeopathy.
  59. Central Council of Research in Unani Medicine.
  60. Central Council of Research in Yoga and Naturopathy.
  61. Post-Graduate Institute for Medical Education and Research.
  62. National Board of Examination.
  63. Chittaranjan National Cancer Research Centre.
  64. All India Institute of Medical Sciences.
  65. Medical & Bio-medical Research.
  66. Institute of Post-Graduate Teaching and Research; Gujarat Ayurveda University.
  67. All India Institute of Speech and Hearing.
  68. Pasteur Institute of India.
  69. Post-Graduate Centre for Ayurveda, Banaras Hindu University.
  70. Physiotherapy Training Centre, King Edward Memorial Hospital.
  71. National Institute of Mental Health and Neuro Sciences.
  72. Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters in the above list.
  73. Fees in respect of any of the matters in the above list, but not including fees taken in any Court.
  74. Central Research Institute for Yoga.
  75. National Institute of Unani.
  76. Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Limited.
  77. Hospital Services Consultancy Corporation Limited.”;
- (b) under the sub-heading “B. DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE (PARIVAR KALYAN VIBHAG)”, for the entries the following shall be substituted, namely:—
1. Policy and organisation for Family Welfare.
  2. Maternal and Child Welfare.
  3. Organisation and direction of education, training and research in all aspects of family welfare including higher training abroad.
  4. Production and supply of aids to Family Planning.
  5. Liaison with foreign countries and international bodies as regards matters relating to family welfare.
6. Inquiries and statistics relating to family welfare.
  7. International Institute of Population Sciences, Bombay.
  8. Development and production of audiovisual aids, extensional education and information in relation to population and family welfare.
  9. Grants-in-aid for the family welfare programme to voluntary organisations and local bodies.
  10. Hindustan Latex Limited.
  11. National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi.
  12. Family Welfare Schemes and projects with external assistance.”;
- (iii) under the heading “MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (MANAV SANSAHDHAN VIKAS MANTARLAYA)”,—
- (a) under the sub-heading “B. DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (YUVA KARYAKRAM AUR KHEL VIBHAG)”, for the entries, the following shall be substituted, namely:—
1. Sports Policy.
  2. Sports and Games.
  3. National Welfare Fund for Sportsmen.
  4. Netaji Subhas National Institute of Sports.
  5. Sports Authority of India.
  6. Matters relating to the Indian Olympic Association and National Sports Federations.
  7. Participation of Indian sports teams in tournaments abroad and participation of foreign sports teams in international tournaments in India.
  8. National Sports Awards, including Arjuna Awards.
  9. Sports Scholarships
  10. Exchange of Sports persons, Youth delegation, experts and teams with foreign countries.
  11. Sports infrastructure, including financial assistance for creation and development of such infrastructure.
  12. Financial assistance for coaching, tournaments, equipment, etc.
  13. Sports matters relating to Union Territories.
  14. Youth Affairs.
  15. Nehru Yuvak Kendras.
  16. National Service Scheme.
  17. Voluntary Youth Organisations, including financial assistance to them.
  18. National Service Volunteer Scheme.
  19. Commonwealth Youth Programme and United Nations Volunteers.
  20. Youth welfare activities, youth festivals, work camp, etc.
  21. Boy-scouts and Girl-guides.
  22. Youth Hostels.
  23. National Youth Awards.
  24. Residual work of the erstwhile National Discipline Scheme.
  25. All attached or subordinate offices and autonomous bodies set up by the Department concerning any of the subjects specified above.”; and
- (b) under the sub-heading “E. DEPARTMENT OF WOMEN’S WELFARE (MAHILA KALYAN VIBHAG)”, after entry 10, the following shall be inserted, namely:—
11. Coordination of activities of Cooperative American Relief Everywhere
  12. Planning, Research, Evaluation, Monitoring, Project Formulations, Statistics and Training relating to the welfare of women and children.”;



(iv) under the heading "MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SOOCHANA AUR PRASARAN MANTRALAYA)", for the entries, the following shall be substituted, namely :—

#### I. RADIO

1. All business connected with All India Radio embracing news services in the home programmes, programmes for the foreign countries and Indians overseas, radio journals, research in the field of broadcasting engineering, monitoring of foreign broadcasts, programme exchange and transcription services, supply of community receiving sets to State Governments under the community listening scheme, etc.
2. Development of Broadcasting throughout the Union, installation and maintenance of Radio Stations' transmitters.

#### II. DOORDARSHAN

3. All business connected with Doordarshan concerning production, selection, import, export and telecast of TV programmes, including news, tele-feature films, etc.
4. Exchange including cultural exchange of TV Programmes.
5. Commercial Advertisement and sponsored programmes on Doordarshan.
6. Development of television throughout the Union, including installation, maintenance and operation of TV Programme Production Centres and Transmitters, community viewing scheme, and any specialised TV service.
7. Promotion of production of TV programmes outside Doordarshan

#### III. FILMS

8. Import of films feature length and shorts for theatrical and non-theatrical use.
9. Export of Indian films-feature-length and shorts.
10. Import and distribution of cine-film (unexposed) and other goods required by the film industry.
11. Production and distribution of documentaries and newsreels and other films and film strips for internal and external publicity
12. Creation of distribution and exhibition chains for films
13. Development and promotional activities relating to film industry, including teaching and research.
14. Administration of Part III of the Cinematograph Act, 1952, in so far as Union Territories are concerned.
15. Grant of State Awards for films produced in India.
16. Grants to Children's Film Society, India and Film and TV Institute of India.
17. Implementation of the recommendations of the Film Enquiry Committee.
18. The National Film Development Corporation and Directorate of Film Festivals.
19. Organisation of Film Festivals under Cultural Exchange Programme.

#### IV. ADVERTISING AND VISUAL PUBLICITY

20. Production and release of all display advertisements of the Government of India through the media of press, posters, folders, calendars, biotters, leaflets, hoardings, cinema slides, etc. and also release of classified advertisements on behalf of the Government of India.
21. Preparation of media lists.

#### V. PRESS

22. Presentation and interpretation of the policies and activities of the Government of India through the mediums of the press.
23. Advising Government on information problems relating to the Press, keeping Government informed of the main trends of public opinion as reflected in the Press and liaison between Government and the Press.
24. Publicity to and for the Armed Forces.
25. General conduct of Government relations with the Press excluding the administration of Sections 95 and 96 of the Code of Criminal Procedure, 1973.
26. Administration of the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867) relating to Newspapers.
27. Administration of the Newspapers (Price and Page) Act, 1956 (45 of 1956).
28. Allocation of Newsprint to Newspapers.

#### VI. PUBLICATIONS

29. Production, sale and distribution of popular pamphlets, books and journals on matters of national importance for internal as well as external publicity, with a view to imparting to the general public at home and abroad upto date and correct information about India.

#### VII. RESEARCH AND REFERENCE

30. To assist the Media Units of the Ministry of Information and Broadcasting (Soochana aur Prasaran Mantralaya) in collection, compilation and preparation of material involving research into published works, etc.
31. Building up of a compendium of knowledge on important subjects and to prepare guidance and background notes on current and other topics for the use of the Media Units of the Ministry.

#### VIII. PUBLICITY FOR THE POLICIES AND PROGRAMMES OF GOVERNMENT OF INDIA

IX. FINANCIAL ASSISTANCE TO DISTINGUISHED MUSICIANS, BOTH VOCAL AND INSTRUMENTAL, DANCERS AND DRAMATISTS WHO HAVE CONTRIBUTED SUBSTANTIALLY TO THE SUCCESS OF ALL INDIA RADIO AND OTHER UNITS OF THIS MINISTRY OR THEIR SURVIVORS IN INDIGENT CIRCUMSTANCES.

X. ALL MATTERS RELATING TO THE ASIAN BROADCASTING UNION, COMMONWEALTH BROADCASTING ASSOCIATION AND THE NON-ALIGNED NEWS AGENCY POOL.

#### XI. ATTACHED AND SUBORDINATE ORGANISATIONS:

- (a) All India Radio
- (b) Doordarshan.
- (c) Films Division.
- (d) Directorate of Filed Publicity.
- (e) Directorate of Advertising and Visual Publicity.
- (f) Press Information Bureau.
- (g) Publications Division.
- (h) Research and Reference Division.
- (i) Office of the Registrar of Newspapers for India.
- (j) Photo Division.
- (k) Songs and Drama Division.
- (l) National Film Archives of India.
- (m) Chief Controller of Accounts.

**XII. AUTONOMOUS ORGANISATIONS**

- (a) Film & TV Institution of India.
- (b) Indian Institution of Mass Communication.
- (c) Children's Film Society, India.
- (d) Press Council of India.

**XIII. PUBLIC SECTOR UNDERTAKING**

National Film Development Corporation including Directorate of Film Festivals.”;

- (v) under the heading “MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (VIDHI AUR NAYA MANTRALAYA)”, under the sub-heading “B. LEGISLATIVE DEPARTMENT (VIDHAYEE VIBHAG)”, the following shall be omitted, namely :—

**Other Subjects**

The Wakf Act, 1954 (29 of 1954).

20. Working respect of Wakf properties under the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950).
21. Administration of Durgah Khawaja Saheb Act, 1955 (36 of 1955).”;

- (iv) under the heading “MINISTRY OF TEXTILES (VASTRA MANTRALAYA)”, for the entries the following shall be substituted, namely :—

**“General Policy**

1. Production, distribution (for domestic consumption and exports) and development of Jute, Jute products, handicrafts and all Textiles and woollens including handlooms, powerlooms, ready-made garments and industries related to the production of silk and cellulosic fibres but excluding cellulosic synthetic fibres nylon, rayon, acetate, etc.
2. Cotton including domestic supply, imports, exports and price stabilisation operations.
3. Sericulture.
4. Development and extension of export promotion in relation to Textiles, woollens, handlooms, readymade garments, Silk and Cellulosic fibres jute and jute products and handicrafts.

**Offices**

5. Development Commissioner (Handlooms).
6. Development Commissioner (Handicrafts).
7. Jute Commissioner, Calcutta.
8. Commissioner of Payments (Textiles), New Delhi.
9. Commissioner of Payments (Jute), Calcutta.
10. Textile Commissioner, Bombay.

**Statutory/Autonomous Bodies**

11. Fashion Institute of Technology.
12. Indian Institute of Handloom, Technology
13. Textile Committee.

**Undertakings**

14. National Handloom Development Corporation
15. Jute Corporation of India Ltd., Calcutta.
16. National Jute Manufactures Corporation Ltd., Calcutta.
17. National Textile Corporation Ltd. and its Subsidiaries.
18. Cotton Corporation of India Ltd., Bombay.
19. Handicrafts and Handlooms Export Corporation and its Subsidiaries.
20. North Eastern Handloom and Handicrafts Development Corporation, Shillong.
21. British India Corporation Ltd., Kanpur, and its Subsidiaries.

**Boards**

22. Central Silk Board.
23. Cotton Advisory Board.
24. All India Handlooms and Handicrafts Board.
25. All India Powerloom Board.

**Advisory/Development Councils**

26. Central Advisory Council for Textile Industry.
27. Jute Manufactures Development Council, Calcutta.
28. Development Council for Textile Industry.
29. Standing Council on Modernisation of Textile Industry.
30. Coordination Council on Textiles Research Associations.

**Councils**

31. Handloom Export Promotion Council.
32. Indian Silk Export Promotion Council.
33. Cotton Textile Export Promotion Council.
34. Carpet Export Promotion Council, New Delhi.
35. Silk and Rayon Textile Export Promotion Council, Bombay.
36. Wool and Woollens Export Promotion Council, New Delhi.
37. Apparel Export Promotion Council, New Delhi.

**Associations**

38. Indian Jute Industries Research Association, Calcutta.
39. Ahmedabad Textile Industries Research Association, Ahmedabad.
40. Bombay Textile Research Association, Bombay.
41. Man-made Textile Research Association, Surat.
42. The South India Textile Research Association, Coimbatore.
43. Northern India Textile Research Association, New Delhi.
44. Silk and Art Silk Mills Research Associations, Bombay.
45. Wool Research Association, Thane.
46. Association of Corporations and Apex Societies for Handlooms.

**International Aspects**

47. International Cotton Advisory Committee.
48. International Institute of Cotton.

**Acts**

49. The Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985 (22 of 1985).”;

- (vii) under the heading “MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHAHARI VIKAS MANTRALAYA)”,—

- (a) in entry 12, the words “Human Settlement”, wherever it occurs, the words “Human Settlements” shall be substituted;
- (b) in entry 23, the words “District Boards” shall be omitted;
- (c) in entry 25, for the word “sewage”, the word “sewage” shall be substituted;
- (d) after entry 32, the following entries shall be added, namely :—

- “33. All matters relating to Planning and Development of the National Capital Region and administration of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985).

- 34 Matters relating to the Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH).
- 35 National Cooperative Housing Federation.”;
- (viii) under the heading “MINISTRY OF WATER RESOURCES (JAL SANSADHAN MANTRALAYA)”, for the entries, the following shall be substituted, namely :—
- I. General
- 1 Development, conservation and management of water as a national resource; overall national perspectives and coordination in this regard including coordination of diverse water uses,
  2. National Water Resources Council.
  - 3 (a) General policy, technical assistance, research and development training and all matters relating to irrigation, including multi-purpose major, medium, minor and emergency irrigation works; hydraulic structures for navigation and hydro-power, tubewells and ground water exploration and exploitation; irrigation for agricultural purposes, water management, command area development; food control, drainage, water logging and sea erosion problems, dam safety;
  - (b) Schemes in Union Territories; schemes in the Central Sector; assistance to States in the formulation and implementation of projects and schemes in the State Sector.
  - 4 Regulation and development of inter State rivers and river valleys
  - 5 Water Laws, legislation
  - 6 Cadre control and management of the Central Water Engineering Services
- II International aspects
- 7 International organisations, commissions and conferences relating to water resources development and management, drainage and flood control.
  8. International Water law.
  9. Matters relating to rivers common to India and neighbouring countries; the Joint Rivers Commission with Bangladesh, the Indus Water Treaty, 1960, the Indus Commission.
  10. Bilateral and external assistance and cooperation programmes in the field of water resources development.
- III Administration of Acts
- 11 The River Boards Act, 1956 (49 of 1956)
  - 12 The Inter-State Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956)
  - 13 The Northern Indian Canal & Drainage Act 1873 (8 of 1873)
  14. Betwa River Board Act, 1976 (63 of 1976)
  - 15 Brahmaputra Board Act, 1980 (46 of 1980)
- IV Organisations & bodies under the Ministry
16. Central Water Commission.
  17. Central Soil- and Materials Research Station.
  18. Central Ground Water Board.
  - 19 Central Water & Power Research Station.
  20. Farakka Barrage Project.
  21. Ganga Flood Control Commission
  22. Sone River Commission
  - 23 Farakka Barrage Project Control Board (and the office of the F.A. & C A O).
  24. Sardar Sarovar Construction Advisory Committee
  25. Brahmaputra Board.
  - 26 Narmada Control Authority
  - 27 Betwa River Board.
  - 28 National Institute of Hydrology
  - 29 National Water Development Agency.
  - 30 Central Board of Irrigation & Power.
  31. Bansagar Control Board
  - 32 Mahi Control Board
  33. Tungabhadra Board.
  - 34 Water & Power Consultancy Services (India) Ltd (WAPCOS).”,
- under the heading “MINISTRY OF WELFARE (KALYAN MANTRALAYA)”,—
- (a) entries 23 and 28 shall be omitted,
  - (b) after sub-entry (i) of entry 33, the following sub-entry shall be added, namely —  
(iii) All matters relating to Linguistic Minorities
  - (c) after entry 33, the following entries shall be added, namely :—
- 34 All matters relating to Minorities Commission
  - 35 The Wakf Act, 1954 (29 of 1954)
  36. Work in respect of Wakf properties under the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950)
  - 37 Administration of Durgah Khawaja Saheb Act, 1955 (36 of 1955).”;
- (x) under the heading “DEPARTMENT OF SPACE (ANTARIKSH VIBHAG)”,—
- a) in entry 2,—  
(i) for the words “and Space Technology”, the words “Space Technology and Space Applications” shall be substituted  
(ii) in sub entries (i) and (ii) for the words “Space Science”, wherever they occur the words “Space Science, Space Technology and Space Applications”, shall be substituted
  - b) in sub-entry (i) of entry 3, for the words “and relation with” the words “and in relations with” shall be substituted”

ZAIL SINGH,  
President.

[No. 74/2/1/85-Cab]  
R RAJAMANI, Addl. Secy.

